पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 फरवरी, 2015 ई0 (फाल्गुन 02, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–08

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	91–113	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	53–60	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	69	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–5

अधिसूचना

23 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 512/XX(5)/14-05(अर्द्ध0सै0)/(एल0ए0)/2012–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सरकारी अधिसूचना संख्या–187/XX(5)/13–05(अर्द्ध0 सै0)/(एल0ए0)/2012, देहरादून दिनांक 20 मार्च, 2013 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या–410/XX(5)/13–05(अर्द्ध0 सै0)/(एल0ए0)/2012, दिनांक 18 जून, 2013 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ, अर्थात् ग्राम–गमशाली, परगना–पैनखण्डा, जिला–चमोली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की समवाय मुख्यालय पोस्ट की स्थापना हेतु आवश्यकता है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन चमोली के जिलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये कार्यवाही करें।

2. चूंकि, श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि चमोली के जिलाधिकारी उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर सकते हैं:–

अनुसूची:–

जनपद	परगना	ग्राम	खसरा नं0	रकवा (हे0 में)
चमोली	पैनखण्डा	गमसाली	Plot No	Area
			623	0.020
			626	0.030
			627	0.029
			628	0.016
			629	0.013
			630	0.014
			631	0.005
			632	0.013
			633	0.038
			634	0.038
			635	0.005
			636	0.010
			637	0.029
			638	0.025
			639	0.045
			641	0.028
			642	0.010

जनपद	परगना	ग्राम	खसरा नं0	रकवा (हे0 में)
चमोली	पैनखण्डा	गमसाली	Plot No	Area
			643	0.018
			644	0.019
			645	0.071
			646	0.013
			647	0.013
			648	0.028
			649	0.018
			651	0.048
			652	0.050
			653	0.039
			654	0.015
			655	0.011
			656	0.040
			658	0.020
			661	0.063
			686	0.010
			687	0.050
			688	0.033
			689	0.036
			36	0.963

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:– जिला चमोली में ग्राम–गमशाली, परगना–पैनखण्डा, में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की समवाय मुख्यालय पोस्ट की स्थापना हेतु ।

टिप्पणी:– उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साईट प्लान) कलेक्टर, चमोली के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,
प्रमुख सचिव।

NOTIFICATION

December 23, 2014

No. 512/XX(5)/14-05(A.S)/(L.A)/2012--In Continuation of the Government Notification No, 187/XX(5)/12-05(A.S)/(L.A)/2012, Dehradun March 20, 2013 and Modified Government Notification No. 410/XX(5)/13-05(A.S)/(L.A)/2012, Dehradun June 06, 2013 issued under sub-section (1) of section 4 read with sub-section-(4) of section 17 of the Land Acquisition Act. 1894 (Act No 1 of 1894), the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in th Schedule below, is needed for public purpose, namely for the construction of I.T.B.P. in village Gamsali Pargana, Penkhanda of District Chamoli, under section 7 of the said Act to take action for the acquisition of the said land.

2. The Govenor, being satisfied that case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) of section 17 of the said Act, to direct that though no award under section 11 has been made, the Collector, Chamoli may on the expiration of 15 days from the date of the publication of a notice under sub-section (1) of section 9, take possession of the land mentioned in the Schedule below for the said public purpose.

Schedule

Distt	Pargana	Mauza	Plot No	Area
Chamoli	Penkhanda	Gamsali		
			623	0.020
			626	0.030
			627	0.029
			628	0.016
			629	0.013
			630	0.014
			631	0.005
			632	0.013
			633	0.038
			634	0.038
			635	0.005
			636	0.010
			637	0.029
			638	0.025
			639	0.045
			641	0.028
			642	0.010
			643	0.018
			644	0.019
			645	0.071
			646	0.013
			647	0.013
			648	0.028
			649	0.018
			651	0.048
			652	0.050
			653	0.039
			654	0.015
			655	0.011

Distt	Pargana	Mauza	Plot No	Area
Chamoli	Penkhanda	Gamsali		
			656	0.040
			658	0.020
			661	0.063
			686	0.010
			687	0.050
			688	0.033
			689	0.036
			36	0.963

For what purpose required: For construction of I.T.B.P. in village Gamsali Pargana Penkhanda of District Chamoli.

Note: A site plan of land may be inspected by the interested person in the office of the Collector, Chamoli.

By Order,

M. H. KHAN,

Principal Secretary.

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2

अधिसूचना

16 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 69 / VI-2/2015/33(7)/2014–राज्य में खेलों को बढ़ावा देने, आधारभूत खेल सुविधायें विकसित करने, खेलों में जन भागीदारी को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को अधिकाधिक संख्या में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करने, युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देते हुये उनको रचनात्मक कार्यों हेतु प्रोत्साहित करने आदि हेतु परिशिष्ट–क के अनुसार 'उत्तराखण्ड राज्य की खेल नीति–2014' को तत्काल प्रभाव से प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

परिशिष्ट–क

खेल नीति–2014

अनुक्रमणिका

क0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	97
2	नीति के उद्देश्य	98
3	दृष्टिकोण	99–100
4	कार्ययोजना	101–104
5	संलग्नक–1	105–106
6	संलग्नक–2	107–113

प्रस्तावना

खेलकूद, मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। जो मानव संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह युवा ऊर्जा को उत्पादक एवं अर्थपूर्ण प्रयोजनों हेतु दिशा देने की प्रभावी युक्ति है। इसको देखते हुये राज्य सरकार द्वारा अपनी प्राथमिकताओं में खेलों को विशेष स्थान दिया जा रहा है।

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में 10–35 वर्ष की आयु के लोगों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग 45 है। व्यक्ति, विशेष रूप से युवा, ऊर्जावान, जागरूक और समाज सेवा के प्रति सजग होता है। राज्य की खेल संस्कृति से खुली एवं प्रतिस्पर्धात्मक खेल भावना उत्पन्न होगी तथा ओलम्पिक खेलों की मूल भावना(Motto) 'तेजी, ऊँचाई एवं मजबूती'(Citius, Altius, Fortius) को प्रोत्साहित करेगी।

खेल में उच्च प्रदर्शन के गणितीय मॉडल में पाँच कारक यथा जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति आय, पिछला प्रदर्शन, जलवायु एवं मेजबान–प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तराखण्ड को इन संकेतकों के दृष्टिगत अभी लाभकारी स्थिति में नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त 'राज्य विकास संकेतांक'(State Development Index) के आधार पर भी खेलों के क्षेत्र में उत्तराखण्ड का प्रदर्शन औसत ही माना जा सकता है।

मौजूदा खेल नीति का प्रख्यापन वर्ष 2006 में किया गया था, जिसे बदली हुई परिस्थितियों एवं चुनौतियों के दृष्टिगत पुनरीक्षित/संशोधित किया जाना आवश्यक है। इसको देखते हुये राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने एवं खेलों हेतु अवस्थापनात्मक सुविधाओं हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया गया है तथा इस क्षेत्र में और अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके लिये नई खेल नीति का प्रख्यापन प्रासंगिक हो जाता है। नई खेल नीति का मुख्य उद्देश्य पूर्व में प्रचलित योजनाओं एवं खेल सुविधाओं को समन्वित करते हुए ऐसे कदम उठाना है, जो न केवल राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होंगे, वरन् साथ–साथ युवाओं की ऊर्जा एवं खेलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण होंगे।

नीति के उद्देश्य

नीति के उद्देश्य निम्नवत हैं:–

1. सभी नागरिकों को खेलों में प्रतिभाग करने के समान अवसर प्रदान करना।
2. खेलों में अधिकाधिक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
3. खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।
4. उच्च गुणवत्ता वाली अवस्थापनात्मक संरचनाओं का विकास, रख–रखाव एवं उनका अनुकूलतम उपयोग करना।
5. खिलाड़ियों को अधिकाधिक संख्या में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित करना एवं प्रोत्साहित करना।
6. शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने पर विशेष बल देना।
7. उच्च नैतिक मूल्यों, साहचर्य की भावना, नेतृत्व की शक्ति द्वारा खेल संस्कृति बनाये रखना।
8. जीवंत युवा ऊर्जा को खेल गतिविधियों एवं शारीरिक योग्यता के माध्यम से सही दिशा देना।
9. खेलों में उत्कृष्ट प्रर्दशन करने वाले युवा महिला एवं पुरूषों की प्रतिभाओं को पहचानना एवं उन्हें पुरस्कृत करना।
10. विकलांगों की विशेष जरूरतों की पहचान कर उनकी खेलों में अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करना।
11. उत्तराखण्ड राज्य में साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास करना।
12. युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देते हुये उनको रचनात्मक कार्यों हेतु प्रोत्साहित करना।

दृष्टिकोण

1. अगले 05 वर्षों में खेल अवस्थापना सुविधाओं को विकसित कर राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित कराये जायेंगे।
2. विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त करने हेतु 05 वर्षीय एवं 10 वर्षीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।
3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी उपलब्ध कराई जायेगी।
4. भारत सरकार की राजीव गॉधी खेल अभियान योजना के अन्तर्गत अगले 05 वर्ष में ब्लॉक स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बनाये जायेंगे।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में युवक मंगल दल, महिला मंगल दल एवं खेल क्लबों को खेल सामग्री उपलब्ध करायेंगे।
6. प्रत्येक खेलों में सम्बन्धित खेल एसोशिएसन के सहयोग से राज्य की टीम तैयार करेंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्तराखण्ड की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।
7. राज्य में प्रचलित खेलों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित किये जायेंगे।
8. विभिन्न खेलों में खेल विभाग द्वारा स्थापित किये गये आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों को उच्चीकृत कर आधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।
9. विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रशिक्षकों की तैनाती की जायेगी।
10. राज्य के प्रत्येक जनपद में स्पोर्ट्स हॉस्टल एवं स्पोर्ट्स स्कूल खोले जायेंगे।
11. जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
12. देहरादून एवं हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बनाये जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न खेल विधाओं में लगातार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा, जिससे खिलाड़ी लाभान्वित होंगे।
13. राज्य खेल पुरस्कार प्रारंभ किये जा रहे हैं, जिससे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जायेगा, इससे दूसरे खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित होंगे।
14. रेफरी एवं निर्णायकों हेतु भी पुरस्कार प्रारंभ किये जा रहे हैं।
15. पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिये जाने की वर्तमान में स्वीकृत 07 श्रेणियों को बढ़ाकर 22 श्रेणी में किया जा रहा है तथा पुरस्कार राशि को भी बढ़ाया जा रहा है।
16. प्रदेश में खेल एकेडमी की स्थापना हेतु प्रोत्साहन की व्यवस्था की जा रही है।
17. प्रदेश के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किये जाने का प्रयास किया गया है।
18. उपलब्ध सभी खेल अवस्थापना सुविधाओं के उपयोग की कार्य योजना बनाई जा रही है।
19. खेलों हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की रखी गई है।
20. खेल विभाग के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक स्तर पर विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके।

21. विभागान्तर्गत लोक निजी सहभागिता(पी0पी0पी0) मॉडल को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा निजी संस्थाओं/व्यक्तियों को वित्त विभाग की सहमति से प्रोत्साहन स्वरूप सेवा कर, स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि में छूट दिलाई जायेगी।
22. खेलों का संवर्द्धन सभी घटकों यथा राज्य सरकार के विभिन्न विभाग एवं संस्थायें, शैक्षिक संस्थान, पंचायत, खिलाड़ी एवं खेल संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से प्राप्त किया जायेगा।
23. जमीनी स्तर पर खेलों का उन्नयन अन्तिम छोर तक, निम्न से ऊपर की ओर विकास के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। इसमें स्थानीय सुविधाओं, वर्तमान संरचनाओं के विकास एवं स्थानीय नागरिकों की आवश्यकता–आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाने पर विशेष बल दिया जायेगा।
24. प्रारम्भिक स्तर पर ही प्रतिभाओं को पहचाने का कार्य किया जायेगा एवं ऐसी युवा प्रतिभाओं को और अधिक आगे आने एवं उन्हें, उनकी क्षमता का विकास करने हेतु समर्थन एवं प्रोत्साहित किया जायेगा। सरकार खेलों को व्यवहारिक रोजगारपरक और अधिक आकर्षक बनाने हेतु एकीकृत व्यवस्था विकसित करेगी, जिसमें खेल विकास की योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रमों का समावेश किया जायेगा।
25. खेल विभाग राज्य में खेलों के प्रोत्साहन हेतु लक्ष्य मूलक एवं समयबद्ध कार्य योजना तैयार करेगा।
26. खेल विभाग द्वारा 41 खेलों को, विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों के अर्न्तगत प्रोत्साहित करने हेतु चिन्हित किया गया है(संलग्नक–1)। विभाग योजनाओं एवं कार्यक्रमों के रूप में अगले 5–10 वर्षो हेतु ऐसे परिणाममूलक संकेतांकों को परिभाषित करेगा, जो निम्नवत् होंगेः–
    1. अगले 05 वर्षो में पर्याप्त संख्या में राज्य के खिलाड़ियों की राष्ट्रीय खेलों, ओलम्पिक, एफ्रो एशियन, एशियन गेम्स, कॉम्नवेल्थ गेम्स एवं विशिष्ट खेल आधारित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
    2. राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल, बैडमिन्टन, निशानेबाजी, बॉलीबाल, कुश्ती, जूड़ो एवं हॉकी में अगले 05 वर्षो में उच्चतम स्थान प्राप्त करना।
    3. राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी, तैराकी, ताइक्वांडो, कराटे, टेबिल टेनिस, लॉन टेनिस, हैण्डबाल, बास्केटबॉल, भारोत्तोलन में अगले 10 वर्षो में उल्लेखनीय प्रदर्शन करना।
    4. ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय खेलों को बढ़ावा दिया जायेगा।
27. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलों की ग्राम से राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताओं के आयोजन की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी, जिससे खिलाड़ियों को खेल का वातावरण प्राप्त हो सके जिससे वे अपनी जीवंत युवा ऊर्जा को खेल की विधा में उपयोग कर उन्नति कर सकें।
28. राज्य के विभिन्न स्थानों पर, स्थानीय चुनिन्दा लोकप्रिय खेलों की स्पोर्ट्स पॉकेट बनाकर खेलों की कार्ययोजना से खेलों का विकास किया जायेगा।

29. खेल विभाग से इतर अन्य विभागों यथा पुलिस, शैक्षिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उपलब्ध खेल अवस्थापनाओं को उच्चीकृत करते हुए उनके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा।

30. शैक्षिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में खेलों पर विशेष ध्यान देने हेतु सम्बन्धित खिलाड़ियों की विभिन्न स्तर पर उपलब्धियों पर उनको पुरस्कृत किया जायेगा।

31. ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की समेकित ऊर्जा के खेल उपयोगार्थ, स्थानीय कम खर्चीले लोकप्रिय खेलों जैसे खो–खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, कुश्ती आदि की प्रतियोगिताओं को स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, ग्राम सरपंच आदि की देखरेख में आयोजित कराया जायेगा।

कार्ययोजना

1.सूचना एवं प्रलेखनः–

1. खेल विभाग द्वारा सूचना प्रोद्यौगिकी के घटकों का अधिकतम प्रयोग विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों के जनता के मध्य प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। विभाग द्वारा वैबसाईट का निर्माण किया जायेगा जहाँ आमजन, खिलाड़ियों एवं खेल सुविधा विकास कर्ताओं हेतु आवश्यक अद्यतन जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। वेबसाइट में विभाग की योजनाओं, खेल मैदानों की डिजाइन एवं माप सम्बन्धी सूचनायें, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध होगा।

2. खेल विभाग समस्त जिला खेल कार्यालयों में खेलों से सम्बिन्धित पुस्तकों, सीडी की लाइब्रेरी का निर्माण करेगा। इसके लिए खेल विभाग समस्त जिला खेल कार्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा। राज्य स्तर में भी निदेशालय में ऐसी लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी एवं समय–समय पर पुस्तकों को जोड़कर इसको और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जायेगा।

2.राज्य विशेष(State Specific)–

1. उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है। अतः उच्च स्थलीय प्रशिक्षण(High Alitute Training) के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाना समीचीन होगा, जिससे उनकी शारीरिक क्षमताओं के विकास के साथ–साथ खेल सम्बन्धी कौशल में भी अपेक्षित सुधार होगा।

2. मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ में पं0नैन सिंह सर्वेयर माउण्टेनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र एवं हाई एल्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जायेगी।

3. पर्वतीय जनपदों में युवाओं को सेना में भर्ती हेतु अपेक्षित शारीरिक कौशल विकसित किये जाने के दृष्टिगत सैनिक कल्याण विभाग के सहयोग से सेना के भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जायेगी।

4. राज्य की विशेष परिस्थितियों/घटकों की पहचान कर उसके अनुरूप प्रतिभाओं को प्रारम्भिक स्तर से ही प्रशिक्षण एवं खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी जो उनके स्थानीय परिवेश एवं स्थानीय खेल के अनुकूल होंगी।

3. खेलों का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण

1. खिलाड़ियों को खेल सम्बन्धी समझ विकसित करने हेतु खेलों का सैद्वान्तिक प्रशिक्षण भी राज्य द्वारा दिया जायेगा, जिसमें खेलों के इतिहास, विकास, नियम एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को सम्मिलित किया जायेगा।

2. राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि खेलों में होने वाले राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नियमों के बदलाव से खिलाड़ियों को अद्यतन रखा जाय।

3. राज्य द्वारा स्पोर्ट्स लैब का निर्माण किया जायेगा, जिससे खेलों में तकनीकी, बायोमैकेनिक एवं सिमुलेशन के आधार पर खिलाड़ियों को उनसे सम्बन्धित खेलों में उच्च स्तरीय प्रदर्शन हेतु मार्गनिर्देशन प्राप्त होगा।

4.वित्तीय प्रबन्धनः–

1. राज्य में स्थित विभिन्न कॉरपोरेट संस्थाओं से कॉरपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी(सी.एस.आर.) के अन्तर्गत खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु धनराशि स्वीकृत करायी जायेगी।

2. खेल विभाग द्वारा सृजित की गई विभिन्न खेल अवस्थापना सुविधाओं के उपयोग हेतु दरों का निर्धारण यथासयम किया जायेगा तथा इससे प्राप्त होने वाली धनराशि जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे वे खेल सुविधाओं का रख रखाव एवं अन्य आवश्यक कार्य कर सकेंगे।

3. भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर खेल विभाग द्वारा भी **"पे एंड प्ले"** योजना लागू की जायेगी तथा इस योजना के माध्यम से प्राप्त धनराशि भी जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति द्वारा खेल सुविधाओं के रख रखाव एवं अन्य आवश्यक कार्यों पर व्यय की जायेगी।

4. प्रस्तावित नीति के क्रियान्वयन पर आने वाला व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5.खेल अवस्थापनात्मक सुविधायें:–

1. राज्य सरकार द्वारा खेल सम्बन्धी अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु पूर्व से ही काफी प्रयास किये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स काम्पलेक्स देहरादून एवं हल्द्वानी में विकसित किये जा रहे हैं। जनपद टिहरी व बागेश्वर को छोड़कर सभी जनपदों में स्टेडियम स्थापित किये गये हैं। इन सभी स्टेडियमों को मानकानुसार उच्चीकृत किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा की सभी जनपदों में कम से कम एक स्टेडियम उपलब्ध हो।

2. राज्य सरकार अपने स्रोतों एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से नई आधारभूत खेल संरचनाओं को सतत् रूप से विकसित करेगी।

3. खेल विभाग द्वारा निर्मित सभी स्टेडियमों का अनुरक्षण खेल निदेशालय, मण्डलीय खेल कार्यालय एवं जिला खेल कार्यालयों द्वारा किया जायेगा।

4. जब तक स्टेडियमों में प्रचलित खेलों में नियमित प्रशिक्षकों की तैनाती नहीं हो जाती है तब तक खेल विभाग स्टेडियमों की क्रियाशीलता एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यकतानुसार कान्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों को तैनात करेगा। जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति, स्टेडियमों को क्रियाशील रखेगी एवं इन व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करेगी।

5. समस्त विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत आदि विकास योजनाओं के निर्माण एवं अनुमोदन करते समय खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण को भी प्राथमिकता देंगे।

6. दक्ष तकनीकी विशेषज्ञों एवं परामर्शदाताओं की सेवायें, नियोजन एवं खेल सुविधाओं के संवर्धन हेतु प्राप्त की जायेगी। खेल स्टेडियम निर्मित करते समय स्थान की अनुकूलता, जल की उपलब्धता एवं जल निकासी को ध्यान में रखा जायेगा, जिससे खेल का मैदान जल–भराव अथवा नमी के कारण अनुपयोगी न रहे अर्थात वर्षभर इनका प्रयोग किया जा सके। विशाल एवं महंगी दर्शकदीर्घाओं के स्थान पर गुणवत्ता युक्त खेल मैदान तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

7. खेल विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में सृजित खेल अवस्थापना सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित कराया जायेगा।

8. अनेक विश्व विधालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं ने खेल स्टेडियमों का निर्माण किया है। इस हेतु ऐसे संस्थानिक तन्त्र को विकसित किया जायेगा, जिससे इन स्टेडियमों का अधिकतम प्रयोग विभिन्न खेल संघों एवं राज्य के खिलाड़ियों द्वारा किया जा सके। इस हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

9. खिलाड़ियो को महत्वपूर्ण, उच्चगुणवता की आधारभूत अवसंरचना यथा एस्ट्रोटर्फ एवं सिंथेटिक ट्रैक आदि का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। खेल विभाग त्रैमासिक आधार पर इन अवसंरचनाओं के प्रयोग का अनुश्रवण किया जायेगा।

10. सरकार राज्य द्वारा अतिरिक्त बुनियादी खेल अवसंरचनाओं के विकास एवं अनुरक्षण हेतु **'सार्वजनिक निजी भागेदारी(पी0पी0पी0)'** मॉडल को अपनाया जायेगा।

11. चूंकि खेलों में तेजी से प्रोद्यौगिकी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, अतः खेल विभाग ऐसी तकनीकों की पहचान करते हुये इनको अपनायेगा, जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन एवं फिटनेस उच्च स्तर का हो सके।

12. खेल विभाग द्वारा **'खेल विज्ञान'** पर आधारित संस्थानों की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी, इससे राज्य के खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त होगा।

6.सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस

1. खेल नीति के लागू होने के उपरान्त खेल विभाग विभिन्न खेलों से सम्बन्धित **'सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस'** स्थापित करेगा।

2. इन सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस में पूर्ण कालिक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षकों को तैनात किया जायेगा जो खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रशिक्षित करेंगे।

7.खिलाड़ियों को प्रोत्साहन :–

1. राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को खेल विभाग द्वारा नगद पुरस्कार, पेंशन, आर्थिक सहायता(**संलग्नक–2 के अनुसार**) एवं अन्य लाभ दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

2. खेल विभाग राज्य के उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों जिनकी ओलंपिक खेलों में विश्व वरीयता शीर्ष 10 में एकल आधार पर एवं शीर्ष 8 में टीम आधार पर हो, को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, यात्रा एवं प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग आदि पर आने वाले व्यय हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. राज्य के खिलाड़ियों द्वारा एन0आई0एस0 डिप्लोमा प्रशिक्षण प्राप्त करने पर आने वाला सम्पूर्ण व्ययभार खेल विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

4. खेल प्रशिक्षकों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु खेल विभाग द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

5. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं यथा ओलपिक खेल, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार द्वारा सेवायोजन में प्राथमिकता/वेटेज दिया जायेगा। इस हेतु विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पदों का चिन्हीकरण, नियुक्ति प्रकिया, वेटेज आदि विषयक शासनादेश कार्मिक विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं यथा ओलपिक खेल, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप में पदक विजेता ऐसे खिलाड़ियों, जिन्होंने उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, को राज्य में खेल एकेडमी खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

संलग्नक–1

ओलंपिक खेल

1. एथलेटिक्स
2. तीरंदाजी
3. बैडमिन्टन
4. बास्केटबॉल
5. बॉक्सिंग
6. केनौइंग एवं क्याकिंग
7. साईक्लिंग
8. डाईविंग
9. घुड़सवारी
10. तलवारबाजी
11. फुटबॉल
12. गोल्फ
13. जिमनास्टिक
14. हैंडबॉल
15. हॉकी
16. जूडो
17. लॉन टेनिस
18. मॉडर्न पेन्थालन
19. शूटिंग
20. रोइंग
21. रग्बी
22. सेलिंग
23. तैराकी
24. टेबल टेनिस
25. ताइक्वांड़ों
26. ट्रॉम्पोलिन
27. ट्राईथलॉन
28. वॉलीबॉल
29. वाटरपोलो
30. वेटलिप्टिंग
31. कुश्ती
32. याटिंग

गैर ओलंपिक खेल

1. बेसबॉल
2. बिलयर्ड्स
3. शतरंज
4. क्रिकेट
5. कबड्डी
6. कराटे
7. खो–खो
8. नेट बॉल
9. वुशू

संलग्नक–2

खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों हेतु पुरस्कार एवं अन्य लाभः–

खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों को पुरस्कार एवं अन्य लाभों के माध्यम से सम्मानित किया जाये। इस प्रकार के पुरस्कार न केवल उनके मान–सम्मान को बढ़ाते हैं, वरन् उन्हें खेलों में और बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित भी करते हैं।

खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों को पुरस्कार एवं अन्य लाभों के माध्यम से पुरस्कृत किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रस्तरों में वर्णित किया गया है। पुरस्कार की राशि एवं अन्य लाभों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित किया जा सकता है।

खिलाड़ी

खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतियगिताओं में पदक जीतने पर नकद पुरूस्कार निम्न विवरणानुसार दिये जायेंगेः–

क्र.सं.	प्रतियोगिता / चैम्पियनशिप	पदक	धनराशि,प्रति खिलाड़ी (व्यक्तिगत स्पर्धा)	धनराशि, प्रति खिलाड़ी(टीम स्पर्धा)
01	ओलपिक खेल	स्वर्ण रजत कांस्य प्रतिभाग	1,50,00,000 1,00,00,000 50,00,000 5,00,000	1,50,00,000 1,00,00,000 50,00,000 5,00,000
02	विश्व कप / विश्व चैम्पियनशिप	स्वर्ण रजत कांस्य प्रतिभाग	20,00,000 12,00,000 7,00,000 1,00,000	20,00,000 12,00,000 7,00,000 1,00,000
03	एशियन गेम्स	स्वर्ण रजत कांस्य प्रतिभाग	15,00000 10,00,000 7,00,000 75,000	15,00,000 10,00,000 7,00,000 75,000
04	कॉमनवेल्थ गेम्स	स्वर्ण रजत कांस्य प्रतिभाग	10,00,000 7,00,000 5,00,000 50,000	10,00,000 7,00,000 5,00,000 50,000

05	एशियन चैम्पियनशिप	स्वर्ण	10,00,000	10,00,000
		रजत	7,00,000	7,00,000
		कांस्य	5,00,000	5,00,000
		प्रतिभाग	50,000	50,000
06	एफ्रो–ऐशियन खेल	स्वर्ण	10,00,000	10,00,000
		रजत	5,00,000	5,00,000
		कांस्य	3,00,000	3,00,000
		प्रतिभाग	50,000	50,000
07	कॉमनवैल्थ चैंम्पियनशिप	स्वर्ण	5,00,000	5,00,000
		रजत	3,00,000	3,00,000
		कांस्य	2,00,000	2,00,000
		प्रतिभाग	50,000	50,000
08	यूथ ओलपिक गेम्स	स्वर्ण	5,00,000	5,00,000
		रजत	3,00,000	3,00,000
		कांस्य	2,00,000	2,00,000
		प्रतिभाग	50,000	50,000
09	सैफ खेल	स्वर्ण	5,00,000	5,00,000
		रजत	3,00,000	3,00,000
		कांस्य	2,00,000	2,00,000
		प्रतिभाग	25,000	25,000
10	नेशनल गेम्स	स्वर्ण	5,00,000	1,00,000
		रजत	3,00,000	75,000
		कांस्य	2,00,000	50,000
11	यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स	स्वर्ण	3,00,000	1,00,000
		रजत	2,00,000	75,000
		कांस्य	1,00,000	50,000
		प्रतिभाग	25,000	25,000
12	यूथ ऐशियन गेम्स	स्वर्ण	3,00,000	1,00,000
		रजत	2,00,000	75,000
		कांस्य	1,00,000	50,000
		प्रतिभाग	25,000	25,000
13	पैरा ओलम्पिक / स्पेशल ओलम्पिक (अन्तर्राष्ट्रीय) मानसिक / शारीरिक विकलांग खिलाड़ी	स्वर्ण	2,00,000	1,00,000
		रजत	1,00,000	75,000
		कांस्य	50,000	50,000
14	नेशनल चैम्पियनशिप	स्वर्ण	1,00,000	25,000
		रजत	75,000	20,000
		कांस्य	50,000	15,000

15	विश्व मैराथन शारारिक / मानिसक (विकलांग) / पैरा ओलम्पिक	स्वर्ण रजत कांस्य	1,00,000 75,000 50,000	—
16	अन्तर्राष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) चैम्पियनशिप	स्वर्ण रजत कांस्य	50,000 25,000 15,000	—
17	राष्ट्रीय स्कूल खेल	स्वर्ण रजत कांस्य	20,000 10,000 7,000	10,000 7,000 5,000
18	ऑल इण्डिया विश्व विद्यालय टूर्नामेन्टस / चैम्पियनशिप	स्वर्ण रजत कांस्य	20,000 10,000 7,000	10,000 7,000 5,000
19	राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव	स्वर्ण रजत कांस्य	20,000 10,000 7,000	10,000 7,000 5,000
20	अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	स्वर्ण रजत कांस्य	20,000 10,000 7,000	10,000 7,000 5,000
21	राष्ट्रीय वेटरन (मास्टर) चैम्पियनशिप	स्वर्ण रजत कांस्य	20,000 10,000 7,000	10,000 7,000 5,000
22	नेशनल पैरा ओलम्पिक / स्पेशल ओलपिक	स्वर्ण रजत कांस्य	20,000 10,000 7,000	10,000 7,000 5,000

नकद पुरस्कार हेतु पात्रता एवं शर्तें:–

- खिलाड़ी द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीम में चयन होने से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य की टीम के खिलाड़ी के रूप प्रतिनिधित्व किया हो।
- पुरस्कार हेतु पिछले कैलेण्डर वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर दिया जायेगा।
- आवेदन सम्बन्धित जिला खेल कार्यालयों / निदेशालय के माध्यम से प्राप्त होने चाहिए।
- नगद पुरस्कार राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं / चैंम्पियनशिप में प्राप्त प्रत्येक पदक के आधार पर अलग–अलग दिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

1.2 प्रशिक्षक

विभिन्न प्रतियागिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को नकद पुरूस्कार निम्न विवरणानुसार दिये जायेंगे।

क्र0सं0	प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार की राशि (धनराशि ₹ लाख में)		
		स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1	2	3	4	5
1	ओलम्पिक खेल	5.00	3.00	2.00
2	एशियन / एफ्रोएशियन / विश्व चैंम्पियनशिप खेल	3.00	2.00	1.00
3	राष्ट्रमण्डल खेल / सैफ खेल	2.00	1.50	0.50
4	राष्ट्रीय खेल / राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	0.20	0.15	0.10

उपरोक्त प्रतियोगिताओं के सफल खिलाडियों / टीमों के ऐसे प्रशिक्षकों को पुरूस्कृत किया जायेगा जो टीम / खिलाड़ी के साथ नियमित रूप से 240 दिन अथवा अधिक अवधि तक प्रशिक्षण दे चुके हों। एक से अधिक प्रशिक्षक होने पर प्रोत्साहन राशि बराबर–बराबर बांट दी जायेगी।

1.3 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता:–

उत्तराखण्ड के प्रसिद्व खिलाड़ियों को निम्नानुसार प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जायेगी।

क्र0 सं0	प्रतियोगितायें	पेंशन (₹ में)
1	2	3
1	ओलम्पिक, विश्व कप में पदक जीतने अथवा प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी	7500.00
2	एशियाड, कॉमनवैल्थ, एफ्रोएशियन, सैफ प्रतियोगिताओं में पदक जीतने अथवा प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी	6500.00

आर्थिक सहायता ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो, को दी जायेगी, जो कहीं अन्य सेवायोजित न हों अथवा आय के साधन न्यून हों। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

1.4 खिलाड़ियों का आर्थिक प्रोत्साहनः–

खेल विभाग द्वारा आयोजित जनपद एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता सावधि जमा के रूप में प्रदान की जायेगी। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु खेल संघों का भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

वैयक्तिक स्पर्धा(प्रति खिलाड़ी)

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
राज्य स्तर	रू0 30,000 प्रति	25,000 प्रति	20,000 प्रति
जिला स्तर	रू0 10,000 प्रति	7,500 प्रति	5,000 प्रति

टीम स्पर्धा(प्रति खिलाड़ी)

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
राज्य स्तर	रू0 10,000 प्रति	8,000 प्रति	6,000 प्रति
जिला स्तर	रू0 5,000 प्रति	4,000 प्रति	3,000 प्रति

उक्त आर्थिक प्रोत्साहन सीनियर वर्ग (ओपन वर्ग) में ओलम्पिक खेलों के अन्तर्गत आने वाले राज्य में प्रचलित खेलों में ही दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

1.5 राज्य पुरस्कारः–

1– देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न–

उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों हेतु यह राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 01 खिलाड़ी को दिया जायेगा। इस पुरस्कार के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख नकद, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं शॉल दिया जायेगा।

2– उत्तराखण्ड राज्य खेल पुरस्कार–

यह पुरूस्कार प्रतिवर्ष 15 खिलाड़ियों को दिया जायेगा जिसमें 08 व्यक्तिगत स्पर्धाओं हेतु, 05 टीम स्पर्धाओं हेतु, 01 विकलांग खिलाड़ी तथा 01 वैटरन/मास्टर खिलाड़ी होगा। इस पुरूस्कार के अन्तर्गत रू0 1,00,000 नकद, प्रशस्ति पत्र एवं ब्लेजर दी जायेगी।

3. प्रशिक्षकों के लिए देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार

यह पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य के प्रशिक्षकों को, उनके द्वारा दिये गये उल्लेखनीय प्रशिक्षण के लिए सम्मानित करने हेतु दिया जायेगा। इस पुरस्कार के अन्तर्गत नकद धनराशि रू0 3.00 लाख, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं शॉल प्रदान किया जायेगा।

4. रेफरी एवं निर्णायक हेतु पुरस्कार

यह पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य के रेफरी, निर्णायकों एवं जजों को उनके खेलों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार के अन्तर्गत नकद पुरस्कार रू0 1.00 लाख, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर एवं शॉल प्रदान किया जायेगा।

देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न हेतु मानदण्ड निम्नानुसार हैः–

- यह पुरूस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जायेगा जिनकी संस्तुति राज्य क्रीड़ा संघ द्वारा की गई हो तथा वे उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी हो।

- जिन्होंने सीनियर अथवा जूनियर वर्ग में मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित किया हो अथवा भाग लिया हो।

राज्य खेल पुरस्कार हेतु मानदण्ड निम्नानुसार है:–

- खिलाड़ी जिन्होंने विगत 03 वर्षों में लगातार उच्चतम उपलब्धि प्राप्त की हो, को ही राज्य खेल पुरस्कार के चयन हेतु सम्मिलित किया जोयगा।

- ओलंपिक खेलों, सीनियर विश्व कप/चैम्पियनशिप, कामनवेल्थ गेम्स/एशियाई खेल/एफ्रोएशियन गेम्स/सीनियर एशियन चैंम्पियनशिप/सीनियर कामनवेल्थ चैंम्पियनशिप एवं सैफ गेम्स आदि में भागीदारी को राज्य खेल पुरस्कार हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

- खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु राष्ट्रीय टीम के चयन से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, पुरस्कार हेतु संज्ञान में लिये जायेंगे।

देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरूस्कार हेतु मानदण्ड निम्नानुसार है:–

- प्रशिक्षक जो इस पुरस्कार हेतु अपना नामांकन प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपना आवेदन संबंधित जिला खेल कार्यालय/निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उनकी समस्त उपलब्धियों का वर्णन होगा। खेल संघ और अन्य व्यक्ति भी अपना नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें अपने आवेदन के साथ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उनके प्रशिक्षुओं की उपलब्धि भी उपलब्ध करानी होगी।

- उत्तराखण्ड राज्य के वे प्रशिक्षक, चाहे वे राजकीय सेवा में हो या निजी क्षेत्र में, कार्यरत हों, जिन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो, जिन्होंने अपने प्रदर्शन/उपलब्धियों के आधार पर लगातार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की हो, को इस पुरस्कार के नामांकन हेतु अर्ह माना जायेगा।

- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड राज्य के अधिकतम 01 प्रशिक्षक को, गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर दिया जायेगा। समिति का विवरण नीचे वर्णित है। यह पुरस्कार तभी प्रदान किया जायेगा, जब इस बात की, साक्ष्यों के माध्यम से पुष्टि हो जाये कि प्रशिक्षक के, प्रशिक्षुओं ने विगत तीन वर्षों में, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

रेफरी एवं निर्णायकों हेतु पुरस्कार के मानदण्ड निम्नानुसार है:–

प्रतिवर्ष एक पुरस्कार इस श्रेणी के अन्तर्गत दिया जायेगा, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाये। यह पुरस्कार तब ही दिया जायेगा, जब समिति इस बात की संस्तुति दे दे, कि निर्णायक में उल्लेखनीय योग्यता है व खेलों के प्रति इनके समर्पण के आधार पर वह पुरस्कार के योग्य है।

- उत्तराखण्ड राज्य के, वे निर्णायक जिन्होंने राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रेफरी बनने की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इस पुरस्कार हेतु अर्ह होंगे, साथ ही ऐसे रेफरी द्वारा पांच वर्षों से ज्यादा तक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रेफरी की भूमिका का निर्वहन किया हो।

- रेफरी, जो इस पुरस्कार हेतु अपना नामांकन चाहते हों, उन्हें, अपना आवेदन पत्र अपनी उपलब्धियों के विवरण सहित संबंधित जिला खेल अधिकारी/निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा।

खेल संघ अथवा अन्य व्यक्ति भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्राप्त अपनी उपलब्धियों के विवरण सहित अपना नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं।

देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरूस्कार, राज्य खेल पुरूस्कार, देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरूस्कार, रेफरी एवं निर्णायकों को पुरूस्कार दिये जाने की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निदेशक, खेल की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के क्रम में पुरस्कारों के चयन हेतु निम्नानुसार हाई पावर समिति गठित की जायेगीः–

1. मा0 खेल मंत्री	अध्यक्ष
2. सचिव/प्रमुख सचिव, खेल	सदस्य सचिव
3. निदेशक, खेल	सदस्य
4. उत्तराखण्ड राज्य के 01 अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी (मा0 खेल मंत्री जी द्वारा नामित)	सदस्य

खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को नकद पुरूस्कार, पेंशन एवं आर्थिक सहायता आदि के सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव, खेल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 हिन्दी गजट/93–भाग 1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 फरवरी, 2015 ई0 (फाल्गुन 02, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), काशीपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

16 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 571/टी0आर0/कर–पंजीयन/DL1GB2145–वाहन संख्या DL1GB2145 मॉडल 1996 चेसिस नं0 360324JTQO12386 इंजन नं0 697D23HTQ139411 इस कार्यालय में श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भोजराज सिंह, निवासी टाण्डा उज्जैन, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर के नाम से दर्ज है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन दिनांक 16–06–2014 से समर्पित है। वाहन फाइनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तकनीकी आख्यानुसार वाहन संचालन योग्य नहीं है। वाहन स्वामी द्वारा चेसिस छाप का टुकड़ा प्रस्तुत किया गया है।

अतः, मैं, अनीता चन्द, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या DL1GB2145 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324JTQO12386 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

अनिता चन्द,

सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), काशीपुर,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), काशीपुर

कार्यालय आदेश

24 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 596 / टी0आर0 / कर–पंजीयन / HR39-8266–वाहन संख्या HR39-8266 मॉडल 2000 चेसिस नं0 373011BZZ703549 इंजन नं0 697D22BZZ709414 इस कार्यालय में श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी श्री त्रिलोचन सिंह सेठी, निवासी गुरूद्वारा गली रामनगर रोड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 24–12–2014 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकी निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः, मैं, अनीता चन्द, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन काशीपुर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या HR39-8266 (भार वाहन) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

24 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 597 / टी0आर0 / कर–पंजीयन / HP23-4765–वाहन संख्या HP23-4765 मॉडल 1996 चेसिस नं0 697D23MTQ834609 इंजन नं0 360324MTQ742322 इस कार्यालय में श्री उमा शंकर पुत्र श्री गौरी शंकर, निवासी म0नं0 98, आवास विकास कालोनी, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 24–12–2014 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकी निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः, मैं, अनीता चन्द, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन काशीपुर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या HP23-4765 (भार वाहन) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

29 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 04 / टी0आर0 / कर–पंजीयन / PB23C-3725–वाहन संख्या PB23C-3725 मॉडल 1997 चेसिस नं0 386045ESQ815858 इंजन नं0 497821ESQ756130 इस कार्यालय में श्री बाबा वचन सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी डेरा कार सेवा गुरूद्वारा ननकाना साहिब, पक्काकोट, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 29–12–2014 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकी निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः, मैं, अनीता चन्द, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन काशीपुर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या PB23C-3725 (ट्रक) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

29 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 600 / टी0आर0 / कर–पंजीयन / UA06B-5783–वाहन संख्या UA06B-5783 मॉडल 2003 चेसिस नं0 33J5108 इंजन नं0 A3J02345 इस कार्यालय में श्री अब्दुल रबीब पुत्र श्री अब्दुल सलीम, निवासी निजामगढ़, जसपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 29–12–2014 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकी निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः, मैं, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन काशीपुर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UA06B-5783 (थ्री–व्हीलर) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

29 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 603 / टी0आर0 / कर–पंजीयन / UA06B-5817–वाहन संख्या UA06B-5817 मॉडल 2003 चेसिस नं0 33K51536 इंजन नं0 A3J04496 इस कार्यालय में श्री अजमत खान पुत्र श्री अख्तर खान, निवासी निजामगढ़, जसपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 29–12–2014 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकी निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः, मैं, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन काशीपुर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UA06B-5817 (थ्री–व्हीलर) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

29 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 604 / टी0आर0 / कर–पंजीयन / UA06B-6973–वाहन संख्या UA06B-6973 मॉडल 2003 चेसिस नं0 33M54923 इंजन नं0 A3L1053 इस कार्यालय में श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी कल्याणपुर, जसपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 29–12–2014 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकी निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः, मैं, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन काशीपुर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UA06B-6973 (थ्री–व्हीलर) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

24 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 606 / टी0आर0 / कर–पंजीयन / UP21N-5406–वाहन संख्या UP21N-5406 मॉडल 1995 चेसिस नं0 360324AUQ702450 इंजन नं0 697D23AUQ706451 इस कार्यालय में श्री विनय कुमार पुत्र श्री राम कुमार सिंह, निवासी म0नं0 335, कटोराताल, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 24–12–2014 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र

अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकी निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः, मैं, अनीता चन्द, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन काशीपुर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP21N-5406 (भार वाहन) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

अनिता चन्द,

सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी,
प्रशासन काशीपुर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), काशीपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

20 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 119 / टी0आर0 / कर–पंजीयन / UA06E6317–वाहन संख्या UA06E6317 मॉडल 1994 चेसिस नं0 360324CVQ708996 इंजन नं0 697D23CVQ729313 इस कार्यालय में श्री लियाकत सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह चीमा, निवास बाजपुर रोड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर के नाम से दर्ज है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तकनीकी आख्यानुसार वाहन संचालन योग्य नहीं है। वाहन स्वामी द्वारा चैसिस छाप का टुकड़ा जमा कर दिया गया है।

अतः, मैं, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UA06E6317 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324CVQ708996 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

29 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 1577 / टी0आर0 / पंजी0नि0 / यूके06सीए–3497 / 2015–वाहन संख्या यूके06सीए–3497 (ट्राली) मॉडल 2011 चेसिस संख्या 12UK0601000019 कार्यालय में श्री मुजीबुर रहमान पुत्र श्री अतीकुर रहमान, निवासी वार्ड नं0 4, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 27–01–2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–01–2015 तक जमा है। वाहन फाइनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके06सीए–3497 (ट्राली) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 12UK0601000019 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 1578/टी0आर0/पंजी0नि0/यूके06सीए–3254/2015–वाहन संख्या यूके06सीए–3254 (ट्राली) मॉडल 2011 चेसिस संख्या 11UK060120061 कार्यालय में श्री मुजीबुर रहमान पुत्र श्री अतीक अहमद, निवासी पुरानी सुनहरी वार्ड नं0 5, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 27–01–2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31–01–2015 तक जमा है। वाहन फाइनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके06सीए–3254 (ट्राली) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 11UK060120061 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन काशीपुर

कार्यालय आदेश

03 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 119/टी0आर0/कर–पंजीयन/UP21N-0128–वाहन संख्या UP21N-0128 मॉडल 1992 चेसिस नं0 364052405158 इंजन नं0 692D02419672 इस कार्यालय में श्री मनोज तुली पुत्र श्री आर0एन0 तुली, निवासी म0नं0 521, महेशपुरा, शक्तिनगर, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर ने दिनांक 03–01–2015 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उपरोक्त वाहन आपके कार्यालय में पंजीकृत है जो कि संचालन योग्य नहीं है। सम्भागीय निरीक्षक प्राविधिक की आख्यानुसार वाहन का तकनीकी निरीक्षणोपरान्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है। वाहन का चेसिस कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

अतः, मैं, अनीता चन्द, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन काशीपुर, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP21N-0128 (भार वाहन) का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

अनिता चन्द,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
प्रशासन काशीपुर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उत्तरकाशी

कार्यालय आदेश

06 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 21/पंजी0नि0/2014–15–वाहन सं0 UA09 5738 DELIVERY VAN मॉडल 2005 चेसिस नं0 374481FUZ401427 इंजन नं0 497SP28FVZ8544 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री लाखी राम पुत्र श्री घनान्द निवासी ग्रा0 व पो0 चिन्याली, उत्तरकाशी के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 30–09–2014 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है। तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 30–09–2014 तक जमा है। वाहन फाइनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, मनोज कुमार त्यागी, प्रभारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी के दायित्य के अधीन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये UA09 5738 DELIVERY VAN मॉडल 2005 चेसिस नं0 374481FUZ401427 इंजन नं0 497SP28FVZ8544 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

06 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 22/पंजी0नि0/2014–15–वाहन सं0 UK10CA 0144 LIGHT GOODS VEHICLE मॉडल 2011 चेसिस नं0 MA1LT2FWTB5E30263 इंजन नं0 11D9119303 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री चन्द्र भानु प्रकाश बोगियाल पुत्र श्री शूरवीर सिंह बोगियाल निवासी बोगियाल भवन, वार्ड नं0 03 ज्ञानसू, उत्तरकाशी के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 29–12–2014 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है। तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 31–12–2014 तक जमा है। वाहन फाइनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, मनोज कुमार त्यागी, प्रभारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी के दायित्य के अधीन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये UK10CA 0144 LIGHT GOODS VEHICLE मॉडल 2011 चेसिस नं0 MA1LT2FWTB5E30263 इंजन नं0 11D9119303 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

प्रभारी सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), उत्तरकाशी।

कार्यालय निदेशक पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिसूचना

30 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 1686/पं0–3/ग्रा0पं0/ग्रा0पं0ग0नो0/2014–15–जिलाधिकारी, चमोली के पत्र संख्या 584/पं0–3/पुनर्गठन ग्रा0पं0/2014–15, दिनांक 08 जनवरी, 2015 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 11–च के परिवर्तित उपबन्धों एवं तत्सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 2334/तेंतीस–1–94–149/94, दिनांक 09 मई, 1994 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, हरबंस सिंह चुघ, निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, विकास खण्ड देवाल, जनपद चमोली की ग्राम पंचायत धारकोट लगा सुईया से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ 2, 3 एवं 4 में उल्लिखित राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र को तद्नुसार स्तम्भ 6, 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्राम, ग्राम सभा एवं पंचायत क्षेत्र घोषित करने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ:–

क्षेत्र पंचायत का नाम–देवाल				जनपद का नाम–चमोली			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम	क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
45	1 धारकोट लगा सुईया	धारकोट लगा सुईया	धारकोट लगा सुईया	45	1 धारकोट लगा सुईया	धुरा धारकोट	धुरा धारकोट

हरबंस सिंह चुघ,
निदेशक।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

[धारा 25 A की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

14 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 4724/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0/14–15/देहरादून–मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 1531/आयु0 कर उत्तराखण्ड/विधि–अनु0/2014–15/वाणिज्य कर दे0 दून दिनांक 09 जुलाई, 2014 द्वारा वाणिज्य कर विभाग की वेबसाईट http://com tax.uk.gov.in पर "List of deemed assessed cases" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित ब्यौहारियों को स्वतः कर निर्धारित माना गया था, उक्त व्यौहारियों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्य वर्धितकर अधिनियम–2005 की धारा 25 A की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार संलग्न सूची में कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिये 1515 व कर निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिये 2138 ब्यौहारियों को स्वतः कर निर्धारित घोषित किया जाता है।

व्यौहारियों की संभागवार संख्या

क्रम संख्या	सम्भाग का नाम	वर्ष 2011–2012	वर्ष 2012–2013
01	देहरादून सम्भाग, देहरादून	369	563
02	हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार	487	746
03	काशीपुर सम्भाग, काशीपुर	211	355
04	नैनीताल सम्भाग, नैनीताल	254	668
		1515	2138

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 हिन्दी गजट/93–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 फरवरी, 2015 ई0 (फाल्गुन 02, 1936 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपना नाम देवी दास से संशोधित कर देवी दास वैष्णव रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये, देवी दास वैष्णव पुत्र मदन सिंह आमखेड़ी, मंगलौर, रुड़की।

समस्त औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रार्थी

देवी दास वैष्णव पुत्र श्री मदन सिंह,
निवासी ग्राम आमखेड़ी मंगलौर, रुड़की,
जिला हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 हिन्दी गजट/93–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।